Issued

सं. ए-25011/01/2019-प्रशा. I एवं II
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
(प्रशासन- I एवं II अनुभाग)
*****

निर्माण भवन,.नई दिल्ली
दिनांक 12 मार्च, 2019

परिपत्र

विषय : कार्यालय में समय की पाबंदी की अनुपालना के संबंध में।

हाल के दिनों में यह देखा गया है कि इस निदेशालय के कुछ कर्मचारी कार्यालय में समय की पाबंदी की अनुपालना नहीं कर रहे हैं। **यह भी देखा गया है कि कई कर्मचारी बिना काम के इधर-उधर घूमते-फिरते और भोजनावकाश के दौरान नियत समय के बाद भी कार्यालय से बाहर रहते हैं।** इसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। **इस संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 का नियम 3 (1) की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है** जो सभी सरकारी सेवकों से हर वक्त अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा बरकरार रखने की अपेक्षा करता है। आदतन दोषी व्यक्तियों द्वारा किए गए ऐसे आचरण को 'सरकारी सेवक के लायक अनुचित' आचरण माना जाएगा और ऐसे कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ की जा सकती है।

2. उपर्युक्त के आलोक में इस निदेशालय के अनुभाग प्रभारियों को निदेश दिया जाता है कि ऊपर वर्णित अनुदेशों का पालन करें और अपने मातहतों को हिदायत दें कि कार्यालय में ऐसी किसी प्रकार की लापरवाही न करें। यदि अनुभाग के किसी कर्मी को उपस्थिति की पाबंदी संबंधी मानकों, कार्यालय के अनुशासन और शिष्टता का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। इस निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भी अनुरोध है कि वे समय-समय पर औचक जांच करें।

जितेन्द्र

(जितेन्द्र सिंह)
उपनिदेशक (प्रशासन)

सेवा में,

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

i. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रधान निजी सचिव।
ii. सूचना पट्ट/ स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का वेबसाइट।